संख्याः13/2017/264/तीस-1-2017-5(42)/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉं,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक31 मार्च,2017

विषयः बस स्टेशन मवाना जनपद मेरठ के प्रांगण के विकास के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-27/2016/583/तीस-1-2016-5(42)/2016, दिनांक 17.08.2016द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 करोड़ में से बस स्टेशन मवाना जनपद मेरठ के प्रांगण के विकास कार्य कराये जानेहेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 110.00 लाख (रू० एक करोड़ दस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त लागत के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू० 55.00 लाख (रूपये पचपन लाख मात्र) कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊको कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- अब प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-18बी/डीए/प0/17, दिनांक 09 जनवरी, 2017 द्वारा प्रश्नगत निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू० 110.00 लाख के सापेक्ष अवशेष रू० 55.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 09.01.2017 में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 करोड़ में से बस स्टेशन मवाना जनपद मेरठ के प्रांगण के विकास कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू० 55.00 लाख (रूपये पचपन लाख मात्र) की धनराशि ऋण के रूप में निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृतकिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) ऋण की वापसी व्याज सहित 10 वर्षो की अवधि में की जायेगी।

(2) व्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में व्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(3) मूलधन के प्रतिदान की पहली किस्त ऋण आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय होगी। मूलधन का प्रतिदान 10 समान वार्षिक किस्तों में किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त ब्याज दर अनन्तिम है। वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम ब्याज दर के आदेश निर्गत होने पर ब्याज दर स्वत: संशोधित मानी जायेगी।

3- उक्त कार्य के लिए आंकलित की गयी रू० 110.00 लाख (रू० एक करोड़ दस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 55.00 लाख (रूपये पचपन लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है:-

4- उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

5- भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा, कराये जा रहे कार्यो की वर्तमान में तथा भवष्यि में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी०एम०-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-23/2016, दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाा उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलबध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ का होगा।

8- उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-32/2016/583/तीस-1-2016-5(42)/2016, दिनांक 17.08.2016के अनुरूप यथावत रहेंगी।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-यू०ओ०ई-9-91/दस-2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉं)

विशेष सचिव।

संख्याः13/2017/264/(1)/तीस-1-2017तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4.प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ
6.वित्त नियन्त्रक,परिवहन आयुक्त,कार्यालय लखनऊ।
7.वित्त नियन्त्रक,उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
8.वित्त नियन्त्रक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ
9.नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
11.वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
12.निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
13.गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(सन्त लाल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in